**प्रेस नोट-जनपद सीतापुर**

## नशे के काले कारोबार पर पुलिस की सख्त नजर, सलाखों के पीछे पहुंचा तस्कर

# बिहार से पंजाब राज्य को ले जायी जा रही करीब 35 लाख रुपये की 06 किलो 240 ग्राम अवैध अफीम बरामद, अंतर्राज्जीय तस्कर गिरफ्तार

**दिनांक 03.11.26**

पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा आगामी त्यौहारो के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा, कानून/शांति व्यवस्था बनाये रखने पर अपराध नियंत्रण हेतु सघन चेकिंग व गश्त के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार यादव महोदय के निकट पर्यवेक्षण में उत्तर प्रदेश पुलिस की सहारनपुर एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) एवं थाना खैराबाद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की गई है।

- दिनांक 03.11.2026 को संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध तस्करी की सटीक सूचना पर लखनऊ-सीतापुर रोड पर जमैय्यतपुर मोड़ के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। इसी दौरान एक संदिग्ध कोयला लदे टाटा ट्रक को घेरकर रोका गया और उसके केबिन के अन्दर एक केविटी को चैक करने पर एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे के अन्दर से कुल 4 पारदर्शी प्लास्टिक की पन्निया बरामद हुई जिसमें **कुल 06 किलो 240 ग्राम अवैध अफीम (04 पारदर्शी पैकेटों में) बरामद की गयी। बरामद अवैध अफीम की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये आंकी जा रही है।** घटना की गंभीरता को देखते हुए तथा प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के निहित प्रावधानों के तहत नियमनुसार सम्पूर्ण बरामदगी व सीलिंग की वैधानिक कार्रवाई को पारदर्शिता के साथ पूरा किया गया।
- **पूछताछ विवरण**- पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त गुरदीप सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मोटे माजरा, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब (उम्र करीब 46 वर्ष) ने बताया कि वह यह अफीम गया (बिहार) के बाराचट्टी निवासी से लेकर आ रहा था और इसे पंजाब के बनूड़ (मोहाली) तक पहुँचाना था। बरामदगी के संबंध में थाना खैराबाद पर अपराध सं. 286 /26 धारा 8/18/29/60 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा.न्यायालय किया जा रहा है।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**गुरदीप सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी ग्राम मोटे माजरा, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब (उम्र करीब 46 वर्ष)।

- **पंजीकृत अभियोग-** मुकदमा अपराध सं. 286 /26 धारा 8/18/29/60 NDPS ACT थाना खैराबाद सीतापुर

➢ **बरामदगी विवरण**:-

- **अवैध मादक पदार्थ: 06 किलोग्राम 240 ग्राम उच्च गुणवत्ता की अवैध अफीम (अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये)।**
- **वाहन:** 01 अदद टाटा ट्रक (पंजीयन संख्या: PB65BP 5955)।
- **नकद राशि**: 2300/- रुपये नकद।
- **संचार साधन**: 02 अदद स्मार्टफ़ोन (सैमसंग गैलेक्सी S25 और ओप्पो F31)।
- **दस्तावेज़ व अन्य:** अभियुक्त का आधार कार्ड तथा वाहन से संबंधित कागजात (आर.सी., बीमा, परमिट, टैक्स इनवॉइस/ई-वे बिल)।

➢ **थाना खैराबाद पुलिस टीम-** उ0नि0 श्री रामप्रताप,का0 मयंक,का0 विक्रम सिंह,का0 गौरव कुमार,का0 अंकुर पाल,का0 कपिल बाबू

➢ **ANTF पुलिस टीम-**उ0नि0 नवीन कुमार, हे0का0 अश्वनी कुमार का0 शिवम चौधरी, का0 अंकित कुमार,




थाना खैराबाद
जनपद - सीतापुर
मो.नं.सी.यू.जी. 9454404250
REEBOK


REEBOK